रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2006/ज्येष्ठ 1, 1928
No. 84] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2006/JYAISTHA 1, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 19 मई, 2006

सं. टीएएमपी/20/2005/एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा गोदियों में प्रभारित कंटेनर प्रहस्तन प्रभारों से संबंधित, दरमान में संशोधन तथा संबद्ध दरमान की वैधता के विस्तार हेतु, मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्तावों का, संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/20/2005-एमबीपीटी

मुंबई पत्तन न्यास — **आवेदक**

आदेश

(मई 2006 के 11 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने, दिनांक 13 सितंबर 2005 को गोदियों के भीतर कन्टेनरों के प्रहस्तन हेतु सम्मिश्र कन्टेनर दर के निर्धारण के लिए मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबन्धित एक आदेश पारित किया था । प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सम्मिश्र कन्टेनर दर 31 मार्च 2006 तक वैध थी ।

2.1. पोत पर पोत हमाली, पोत से तट पर अन्तरण, बर्थ और कंटेनर यार्ड के बीच में आवागमन, यार्ड पर कन्टेनरों को उठाने तथा उतारने और कुछ समायोजन सहित कन्टेनरों के पोतघाट भाड़ा घटक के लिए (तत्कालीन) प्रचलित मदवार प्रभारों को, उक्त विविध प्रकार के प्रचालन के लिए (तत्कालीन) प्रचलित दरमान में निर्धारित अलग-अलग प्रशुल्क के बदले सबको समूहबद्ध करके सम्मिश्र कन्टेनर दर का निर्धारण किया गया था।

2.2. (तत्कालीन) प्रचलित पोत पर पोत हमाली उगाही में जो अब सम्मिश्र कन्टेनर दर के घटकों में से एक बनी हुई है, कन्टेनरों का बांधना तथा खोलना भी सम्मिलित था । चूँकि पोत पर कन्टेनरों को बांधना और खोलना एक जलयान एजेन्ट की जिम्मेदारी है, इसलिए जलयान एजेन्ट द्वारा कंटनेरों को बांधने और खोलने के काम के लिए एक छूट प्रदान करने हेतु एमबीपीटी के दरमान में एक प्रावधान किया गया था ।

2.3.2 संदर्भित प्रकरण की परामर्श प्रक्रिया के दौरान एमबीपीटी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि क्या (प्रस्तावित) सम्मिश्र कन्टेनर दर में, कन्टेनरों को बांधने तथा खोलने की सेवाएँ प्रदान करना शामिल है । एमबीपीटी को यह भी सलाह दी गयी थी कि यदि पत्तन द्वारा बांधने और खोलने की सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती है तो उसके लिए छूट को प्रस्तावित किया जाये । इसके प्रत्युत्तर में एमबीपीटी ने यह सूचित किया कि सम्मिश्र कन्टेनर दर में कन्टेनरों को बांधने और खोलने की सेवाएँ शामिल नहीं हैं । तथापि, यदि एमबीपीटी द्वारा कन्टेनरों को बांधने और खोलने की सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती है तो भी पत्तन ने उसके लिए छूट प्रदान करने की व्यवस्था को जारी रखने का प्रस्ताव किया है । तदनुसार कन्टेनरों को बांधने तथा खोलने की सेवाएँ प्रदान न किये जाने पर गोदी दरमान की धारा 4(ग) के तहत प्रचलित छूट-रू. 30/- प्रत्येक कन्टेनर जारी रखने के प्रावधान को एमबीपीटी गोदियों पर प्रभारित दरमान के खण्ड V के तहत उप-खण्ड (क) और (ख) के टिप्पण (V) के रूप में सम्मिलित किया गया था । दिनांक 13 सितंबर 2005 के आदेश के पैरा (xxvii) में इस स्थिति की व्याख्या की गयी थी।

3. अब एमबीपीटी ने अपने पत्र सं.एफए/एसीसी/227/1437 दिनांक 18 फरवरी 2006 द्वारा यह सूचित किया है कि कन्टेनरों की सम्मिश्र कन्टेनर दर में, कन्टेनरों को बांधने और खोलने के लिए प्रदान की गई सेवाएँ सम्मिलित हैं और उसने इस प्राधिकरण से दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित आदेश के पैरा 11(xxviii) में से उद्भूत विसंगत स्थिति को ठीक करने हेतु अनुरोध किया है ।

4. कथित विसंगति एमबीपीटी द्वारा प्रासंगिक कार्यवाही में गलत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के कारण उभरी है, यह स्थिति विसंगत इसलिए है क्योंकि किसी भी तत्व के लिए छूट कैसी दी जा सकती है जबकि वह तत्व सम्मिश्र दर में शामिल ही नहीं है । किन्तु उसी समय, यह गतिविधि चलाने वाले उपयोगकर्ता न्यायोचित रूप से राहत के हकदार है क्योंकि इससे पहले मदवार दर में पोतों को बांधने और खोलने का तत्व शामिल था । एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित स्पष्टीकरण के मद्देनज़र इस प्राधिकरण के निर्णय तथा एमबीपीटी की स्थिति को सही रूप से प्रतिबिम्बित करने हेतु दिनांक 13 सितंबर 2005 के आदेश के पैरा 11 (xxviii) को संशोधित करना आवश्यक है । दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित आदेश का पैरा 11 (xxviii) और उसका आवश्यक संशोधन निम्नप्रकार से सारणीबद्ध है ।

पैरा सं. 11(xxviii)	पैरा सं. 11(xxviii) का संशोधन
वर्तमान, पोत पर पोत हमाली प्रभार में कन्टेनरों को खोलना/बांधना सम्मिलित होता है । इस संबन्ध में एक प्रश्न के उत्तर में एमबीपीटी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कन्टेनर दर में कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए दी जानेवाली सेवाएँ समाहित नहीं हैं और इसने प्रस्ताव किया है कि गोदी दरमान के खंड 4(ग) के अन्तर्गत वर्तमान छूट जारी रखी जाय। तदनुसार कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए सेवाएँ प्रदान न करने पर गोदी दरमान के खंड 4 (ग) के अधीन वर्तमान छूट के लिए दरमान में प्रावधान सम्मिलित किया गया है ।	वर्तमान, पोत पर पोत हमाली प्रभार में कन्टेनरों को खोलना/बांधना सम्मिलित होता है । इस संबन्ध में एक प्रश्न के उत्तर में **एमबीपीटी ने अपने पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण को संशोधित कर दिया और सूचित किया कि कन्टेनर दर में कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए दी जानेवाली सेवाएँ समाहित हैं;** और इसने प्रस्ताव किया है कि गोदी दरमान के खंड 4(ग) के अन्तर्गत वर्तमान छूट जारी रखी जाय । तदनुसार कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए सेवाएँ प्रदान न करने पर गोदी दरमान के खंड 4 (ग) के अधीन वर्तमान छूट के लिए दरमान में प्रावधान सम्मिलित किया गया है ।

5. दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित आदेश में संभावित संशोधन के मद्देनज़र दरमान के खण्डV के उपखण्ड (क) और (ख) की संबन्धित टिप्पण सं. (iii) में निम्नलिखित पूर्वव्यापी संशोधन की आवश्यकता है :-

प्रचलित	संशोधित
उपरोक्त प्रभारों में पोत पर पोत हमाली प्रभार, पोतघाट पर प्रहस्तन प्रीस्टेक क्षेत्र में निर्यात कन्टेनरों को चढ़ाना/आयात कन्टेनरों को उतारना, कन्टेनरों को पोतघाट तथा प्रीस्टेक क्षेत्र/आरसीडी यार्ड के बीच में से हटाना, आईसीडी कन्टेनरों को रेलवे वैगनों से उतारना/पर चढाना सम्मिलित है ।	उपरोक्त प्रभारों में **कन्टेनरों को बांधने/खोलने को समाहित करते हुए** पोत पर पोत-हमाली प्रभार, पोतघाट पर प्रहस्तन प्रीस्टेक क्षेत्र पर निर्यात कन्टेनरों को चढ़ाना/आयात कन्टेनरों को उतारना, कन्टेनरों को पोतघाट तथा प्रीस्टेक क्षेत्र/आरसीडी यार्ड के बीच में से हटाना, आईसीडी कन्टेनरों को रेलवे वैगनों से उतारना/पर चढ़ाना सम्मिलित है ।

6.1. एमबीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2006 द्वारा अन्य बातों के साथ इस प्राधिकरण से यह भी अनुरोध किया है कि व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव अनुमोदित होने तक प्रचलित सम्मिश्र कन्टेनर दर को 31 मार्च 2006 से आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाये ।

6.2. सम्मिश्र कन्टेनर दर के निर्धारण हेतु अपना प्रस्ताव दाखिल करते समय एमबीपीटी ने, केवल एक वर्ष अर्थात् 2005-06 के लिए बहिर्वेशन सहित लागत विवरणी प्रस्तुत की थी । चूँकि लागत विश्लेषण एक ही वर्ष पर आधारित था, इस प्राधिकरण ने सम्मिश्र कन्टेनर दर की वैधता को 31 मार्च 2006 तक निर्धारित किया ।

6.3. एमबीपीटी ने गोदी दरमान के खण्ड IV पर, गोदियों के भीतर कन्टेनरों के प्रहस्तन हेतु सम्मिश्र कन्टेनर दर के प्रस्ताव को अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में सम्मिलित किया है । यह उल्लेखनीय है कि पत्तन ने प्रचलित दरों को बिना परिवर्तन के, जारी रखने का प्रस्ताव किया है ।

7. एमबीपीटी द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव को परामर्श हेतु ले लिया गया है । अंतिम विचार हेतु परिपक्व होने के लिए प्रस्ताव को और कुछ अधिक समय लगेगा ।एमबीपीटी की गोदियों के भीतर कन्टेनरों के प्रहस्तन हेतु, प्रचलित सम्मिश्र कन्टेनर दर की वैधता को 31 मार्च 2006 से आगे छः माह के लिए अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होनेवाले एमबीपीटी के दरमान के संशोधन हेतु प्राप्त व्यापक प्रस्ताव के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो तबतक, विस्तार करने के लिए यह प्राधिकरण सन्नद्ध हैं ।

8. फलस्वरूप और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचारविमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित अनुमोदित करता है :

(i) प्रकरण सं. टीएएमपी/20/2005-एमबीपीटी में दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित आदेश पैरा सं. 11(xxviii) निम्नप्रकार से संशोधित किया जाता है :

"वर्तमान, पोत पर पोत हमाली प्रभार में कन्टेनरों को खोलना/बांधना सम्मिलित है । इस संबन्ध में एक प्रश्न के उत्तर में एमबीपीटी ने अपने पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण को संशोधित कर दिया है और सूचित किया है कि कन्टेनर दर में कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए दी जानेवाली सेवाएँ समाहित हैं; और इसने प्रस्ताव किया है कि गोदी दरमान के खंड 4(ग) के अन्तर्गत वर्तमान छूट जारी रखी जाय । तदनुसार कन्टेनरों को बांधने/खोलने के लिए सेवाएँ प्रदान न करने पर गोदी दरमान के खंड 4(ग) के अधीन वर्तमान छूट के लिए दरमान में एक प्रावधान सम्मिलित किया गया है ।"

(ii) दिनांक 13 सितंबर 2005 को पारित पूर्ववर्ती आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से, गोदियों पर प्रभारित दरमान के खण्ड V के उपखण्ड (क) और (ख) के टिप्पण सं. (iii) को, निम्नप्रकार से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया जाता है :

"उपरोक्त प्रभारों में कन्टेनरों का बांधना/खोलना सहित, पोत पर पोत-हमाली प्रभार, पोतघाट पर प्रहस्तन, प्रीस्टेक क्षेत्र से निर्यात कन्टेनरों को चढ़ाना/आयात कन्टेनरों को उतारना, कन्टेनरों को पोतघाट तथा प्रीस्टेक क्षेत्र/आरसीडी यार्ड के बीच में से हटाना, आईसीडी कन्टेनरों को रेलवे वैगनों से उतारना/पर चढाना सम्मिलित है ।"

(iii) प्रकरण सं. टीएएमपी/20/2005-एमबीपीटी में दिनांक 13 सितंबर 2005 के आदेश के माध्यम से, मुंबई पत्तन न्यास के दरमान में संशोधनो की वैधता 31 मार्च 2006 से आगे, 6 माह की अवधि के लिए या मुंबई पत्तन न्यास द्वारा अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु प्रस्ताव पर पारित होनेवाले आदेश की प्रभावी तिथि तक, इनमे से जो भी पहले हो विस्तारित की जाती है ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/143/2005/असा.]